

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

ईश्वर वगै० बनाम कमला देवी वगै०

किस्म मुकदमा दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मु०नं० 172 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/339


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

15-05-2025

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से श्री बलबीर सिंह जाखड़ एड. उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 04.06.2025 को पेश हो।


राजबीर सिंह गादव
उपखण्ड आधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

04/06/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं० 1, 2, 7, 9 व 11 की ओर से श्री मानसिंह बिजारणियां एड० एवं प्रतिवादी सं० 10 की ओर से श्री सत्यनारायण यादव एड० व के ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण सं० 3 ता 6, 8, 12 व 13 की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादीगण सं० 3 ता 6, 8, 12 व 13 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पर वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष के निवेदन पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण तकास्मा का हैं। वादग्रस्त आराजी के वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार हैं। वकुलाय उभयपक्ष ने प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु सहमत हैं तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आये जिससे उक्त प्रतिवादीगण की वादी के वादपत्र पर मौन स्वीकृति जाहिर होती हैं। तथा प्रतिवादी सं० 12 व 13 प्रकरण में Formal पक्षकार हैं। अतः वकुलाय उभयपक्ष का निवेदन स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि:-

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम गोडावास पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख० नं० 1033/507, 1034/507, 1035/507, 505, 506 में विवादीत पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति



तारीख
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
उनवानी ईश्वर वगै० बनाम कमला देवी आदि मु.सं. 177/2025

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

में स्वयं मौका-निरिक्षण कर निम्न शर्तों को ध्यान में रखते हुये
विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करें:-

1. यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर
अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तो
मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर
भिजवावें।
2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव
तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 के अनुसार पक्षकारान के
बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं है तो "बाई मिट्स
एण्ड बाउण्ड्स" के सिद्धान्त पर पृथक्-पृथक् लगान
कायम करते हुए मीन बट्टा नम्बर डालकर नक्शा ट्रेस
में लाल सूख्र स्याही से तरमीम कर विस्तृत विभाजन
प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम के
नियम- 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/
प-51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में
प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार तैयार करवाकर प्रकरण में
नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.07.2025 से पूर्व
भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार नीमकाथाना को उपरोक्तानुसार विस्तृत विभाजन
प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहरीर जारी हो तथा तदनुसार
प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो। वास्ते प्राप्त होने विस्तृत
विभाजन प्रस्ताव मिसल दिनांक 04.07.2025 को पेश हो।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सिकर)

५/७/२५

पत्रावली पेश हुई। उपस्थित।
२० साहब कीर्ण का स्थान पर
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक १६/७/२५
को पेश की।

१६/७/२५

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ
आज उक्त कार्य का स्थान पर
रखा है। पूर्व आदेशानुसार
दिनांक २३/७/२५ को पेश की।

पत्रावली पेश हुई। उपस्थित।
२० साहब कीर्ण कार्य में स्थित है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक २७/७/२५
को पेश की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुकम	मुकदमा सं. हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29/09/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्वी में प्राथमिक डिक्री की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नही करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलं शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p>यतिशक्ति 21.7.9.11 की कोर्ट बहस Hence Singh 29/9/25 [Signature]</p>
	<p>[Signature] (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, दव नीमकाथाना नीमकाथाना (सीकर)</p>	



डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. ईश्वर पुत्र गोपालराम वगैरह

—वादीगण

बनाम

1. कमला देवी पत्नी पवन कुमार वगैरह

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 177 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री बलबीर सिंह जाखड़ एडवोकेट मिनजानिब मुद्ई रूबरू श्री मानसिंह बिजारणियां, श्री सत्यनारायण यादव एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवत मौरि खर्चा मुद्दा मुद्दा अदालत के आज तारीख 29 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर



दस्ताखत

ओहदा

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दा	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान	

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।